कार्यालय नगर पालिक निगम

जोन क. 04 नेहरू काम्पलेक्स व्यापार विहार बिलासपुर(छ.ग.)

निविदा विज्ञप्ति

नि.क्र. 37 / न.पा.नि. / जनकार्य–4 / 24–25 बिलासपुर दिनांक 23.08.2024

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा दिनांक 13.09.2024 को सायं 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि (लाख में)
1	वार्ड क्र. 23 मे पार्षद गली नम्बर 01 राजू प्रजापति के घर से एच.आर.मनहर रोड तक सीसी रोड निर्माण कार्य। (पार्षद निधि)	1.00 लाख रू.
2	वार्ड क्र. 23 बजरंग पंचायत के सामने यादव गली में निर्मित सामुदायिक भवन में अतिरिक्त सुविधाओं का विस्तार एवं कमरा निर्माण कार्य।) (पार्षद निधि)	2.50 लाख

शर्तें:– निविदा से संबधित अन्य जानकारी जोन क. 04 व्यापार विहार नेहरू काम्पलेक्स नगर पालिक निगम बिलासपुर से अथवा निगम की वेबवाईट www.bilaspurnagarnigam.com से प्राप्त की जा सकती है।

जोन कमिश्नर
जोन क. 04 नेहरू काम्पलेक्स व्यापार विहार
बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क. / न.पा.नि. / जनकार्य–4 / 2024–25 बिलासपुर दिनांक 23 / 08 / 2024

प्रति,

1. मे. शिवम् पब्लिसिटी,
   बिलासपुर (छ.ग.)

कृपया उपरोक्त निविदा विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र .... में .... से.मी. x .... से.मी. स्थान पर एक बार प्रकाशित कर देयक भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें।

2. डाटा सेंटर विकास भवन बिलासपुर (छ.ग.)
   प्रतिनिधि श्री शेखर साहू कृपया संलग्न निविदा विज्ञप्ति को नगर निगम के वेबसाईट में अपलोड करें।

जोन कमिश्नर जोन क. 04
नेहरू काम्पलेक्स व्यापार विहार
न.पा.नि.बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, जोन क्र.04
नेहरू काम्पलेक्स व्यापारविहार बिलासपुर (छ.ग.)
email.zone04bmc@gmail.com

निविदा विज्ञप्ति

नि.क्रं 37 / न.पा.नि. / जनकार्य–4 / 24–25 बिलासपुर, दिनांक 23 / 08 / 2024

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी मे पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय – दिनांक 13 / 09 / 2024 सायंकाल 4.00 बजे तक
2. निविदा खोलने की तिथि एवं समय – दिनांक 13 / 09 / 2024 सायंकाल 4.30 बजे

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि (लाख में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	समयावधि
1	वार्ड क्र. 23 मे पार्षद गली नम्बर 01 राजू प्रजापति के घर से एच. आर.मनहर रोड तक सीसी रोड निर्माण कार्य। (पार्षद निधि)	1.00 लाख रू.	1000 / –	300 / –	1 माह
2	वार्ड क्र. 23 बजरंग पंचायत के सामने यादव गली में निर्मित सामुदायिक भवन में अतिरिक्त सुविधाओं का विस्तार एवं कमरा निर्माण कार्य। (पार्षद निधि)	2.50 लाख रू.	2500 / –	750 / –	2 माह

निविदा की शर्तें :–

1. निविदा प्रपत्र नगर निगम के वेबसाईट www.bilaspurnagarnigam.com से नये निविदा प्रपत्र फार्म–अ को डाउनलोड कर निर्धारित मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक सहित जो आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर के नाम से देय हो, संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
2. निर्धारित अमानत राशि / एफ.डी.आर. / टी.डी.आर. / डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक जो कि आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर के नाम से देय हो, देना होगा।
3. निविदा तीन लिफाफा पद्धति के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। लिफाफा अ में निर्धारित निविदा प्रपत्र के मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक तथा निर्धारित अमानत राशि / एफ.डी.आर. / टी.डी.आर. / डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक, लिफाफा ब में एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ई–पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति, पेन नम्बर की प्रति, जी.एस.टी. नंबर एवं ई.पी.एफ. तथा निविदा की विस्तृत सूचना (एन.आई.टी. को डाउनलोड कर) जिसमें ठेकेदार को हस्ताक्षर कर भेजना होगा। लिफाफा स में डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र को भरकर निविदा दर देना होगा। लिफाफा अ, ब एवं स को एक अन्य बड़े लिफाफे मे रखकर सीलबंद कर स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना होगा।
4. सीलबंद निविदाए केवल स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा। निविदा जोन कमिश्नर जोन क्र. 04 नेहरू काम्पलेक्स व्यापार विहार बिलासपुर के पते पर भेजना होगा।
5. ई–पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन नम्बर की प्रति, जी.एस.टी. नंबर एवं विस्तृत निविदा सूचना (एन.आई.टी) हस्ताक्षर युक्त तथा निर्धारित निविदा प्रपत्र का मूल्य व निर्धारित अमानत राशि सही पाये जाने पर ही निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जावेगा।
6. कर्मचारी भविष्य निधि पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति जमा कराना अनिवार्य होगा। भविष्य निधि पंजीयन न होने की दषा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
7. पृथक–पृथक कार्यो हेतु अलग–अलग लिफाफे में उपरोक्तानुसार भेजना होगा, प्रत्येक कार्य हेतु कार्य का नाम एन.आई टी. क्रमांक, निविदा खोलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लेवें ताकि कार्य प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न होवें।
9. निर्धारित समयावधि मे इकरारनामा नही करने पर आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात कर नगर निगम के आगामी निविदाओं में भाग लेने पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जावेगा।

10. निविदाकर्ता द्वारा निविदा दर समस्त करों सहित उल्लेखित की जावे। नगर पालिक निगम, बिलासपुर द्वारा स्वीकृत निविदा दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जावेगा। शासन द्वारा निर्धारित सभी करो के भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
11. निर्धारित निविदा प्रपत्र मे उल्लेखित कंडिकायें स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं एन.आई.टी. निविदा का ही पार्ट माना जावेगा।
12. निर्धारित समयावधि मे निर्माण कार्य पूर्ण नही करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति मे छोड़ता है तो अन्य एजेंसी से कार्य पूर्ण कराया जावेगा तथा कार्य पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जावेगी। इस हेतु शेष कार्यो के लिये निविदा आमंत्रित की जावेगी तथा अंतर की राशि की कटौति इनके बिलो से करके ही शेष धनराशि का भुगतान किया जावेगा। ठेकेदार की राशि उपलब्ध न होने पर नियमानुसार राजस्व वसूली की जावेगी।
14. कार्य प्रारंभ नही करने या अपूर्ण स्थिति मे छोड़ने पर निगम द्वारा निविदाकार को आगामी 6 माह के लिये किसी भी निविदा मे भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जावेगा।
15. उपरोक्त निविदाओ की तिथियों मे किसी तिथि को अवकाश होने अथवा घोषित होने पर अगले कार्य दिवस पर निविदा से संबंधित की कार्यवाही की जा सकेगी।
16. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति मे आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षो को स्वीकार्य होगा।
17. निविदा स्वीकृति हेतु अधिकृत पदाधिकारी का किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
18. कार्य में लगने वाली समस्त सामाग्री की व्यवस्था सफल ठेकेदार को करनी होगी। निकाय द्वारा किसी भी प्रकार की सामाग्री न तो प्रदाय की जावेगी और न ही उसे प्राप्त करने में सहायता की जावेगी।
19. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंको में लिखना अनिवार्य होगा।
20. शासन के विभिन्न विभागों जैसे खनिज विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागो द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो/आदेशो के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
21. सफल निविदादाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफामेंस राशि जमा कराई जावेगी, जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो, जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफामेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफडीआर/पोस्ट आफीस टाईम डिपाजिट/एनएससी जो कि संबंधित निकाय के आयुक्त नगर निगम बिलासपुर के नाम से देय होगा, जमा कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न कराने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
22. कार्य हेतु दिनांक 01.01.2015 लोक निर्माण विभाग रायपुर के भवन निर्माण कार्य से प्रचलित व निविदा जारी दिनांक तक संशोधित एस.ओ.आर. दर पर आमंत्रित है।
23. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

निविदा की उपरोक्त शर्ते मुझे मान्य है।

जोन कमिश्नर जोन क्र. 04
नेहरू काम्पलेक्स व्यापार विहार
नगर पालिक निगम बिलासपुर (छ.ग.)

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)
नाम ....
पूर्ण पता ....
....
मोबाईल नं. ....